The Government of Kerala had demanded in the beginning Rs. 202 crores from the Centre. After realistic estimate of the exteni of damage, the Government has now demanded Rs. 341 crores to meet the drought situation.

Therefore, I would request the Government to consider the request of the Government of Kerala sympathetically and sanction the amount asked for immediately,

(viii) Penalty being charged for affixing photographs on the driving licences in Delhi during the extended period.

श्री राकेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, दिल्ली में मोटर व्हीकल्स एक्ट के अन्तर्गत ड्राइविंग लाइसेंस पर चालक का फोटो लगाना आवश्यक कर दिया गया था और सरकार द्वारा 31 मार्च, 1983 तक सभी लोगों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर विभाग द्वारा फोटो लगवाने की छूट थी ।

31 मार्च, 1983 को मैंने सदन में यह प्वाइंट उठाया था कि दिल्ली में 6 लाख लोगों को अपने लाइसेंस पर फोटो लगवाकर विभाग से स्टैम्प लगवानी है, लेकिन अभी तक 17 हजार लोगों ने ही अपने लाइसेंस पर फोटो लगवाई है, इस लिए लाइसेंस पर फोटो लगवाने की तिथि को आगे बढ़ाया जाये वरना लोग पकड़े जायेंगे और झगड़े होगें ।

यह खुशी की बात है कि अगले दिन 1 अप्रैल, 1983 को समाचार-पत्रों में पढ़ने को मिला कि यह तिथि 2 मास के लिये और बढ़ा दी गई है । मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस बढ़ी हुई 2 महीने की अवधि में जो लोग अपने लाइसेंस पर फोटो लगवाने के लिये विभाग में जाते हैं, उन को पेनल्टी के रूप में 25,30 रुपये वहां जमा कराने होते हैं । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब यह तिथि 2 महीने के लिये बढ़ा दी गई हैं तो फिर लोगों से जुर्माने के रूप में भारी रकम क्यों वसूल की जा रही है अगर लोगों से पैनल्टी ही लेनी थी तो इस अवधि को बढ़ाने का क्या मतलब हुआ ?

क्या सरकार यह पैनल्टी बंद करेगी और जिन लोगों से रुपया वसूल किया गया है, उनको आगे रिफंड करेगी या रोड टैक्स में एडजस्ट करेगी ?

मेरा निवेदन है कि क्योंकि बहुत लोगों को फोटो लाइसेंस पर लगवाने अभी बाकी हैं, विभाग में बहुत भीड़ होती है, लोगों का बड़ा टाइम खराब है, क्या सरकार एक बार ही इस अवधि को 6 महीने के लिये और बढ़ाने का निर्णय करेगी, जिससे लोगों को सुविधा हो जाये और विभाग में अन्यथा भीड़ न हो ?

(ix) Need to establish molasses-based industries as Khalilabad in U.P.

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे (खलीलाबाद) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत अपना बयान पढ़ रहा हूं :

1971 में सौभाग्य से पूर्वी उत्तर प्रदेश के दो जिले बस्ती और बलिया को औद्योगिक दृष्टिकोण से केन्द्र द्वारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया गया ।

सन् 1980 में पुनः बस्ती और बलिया जनपद औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ इलाका घोषित किया गया । प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछड़े हुए क्षेत्रों में औद्योगीकरण को प्राथमिकता देने का संकल्प किया गया है ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने खलीलाबाद जनपद बस्ती को इंडस्ट्रियल टाउन घोषित किया है और वहां जनता को यह विश्वास दिलाया है कि खलीलाबाद जनपद बस्ती में कुछ बड़े उद्योग लगेंगे । उत्तर प्रदेश शासन ने खलीलाबाद में कई हजार एकड़ जमीन को अधिग्रहण करने का नोटिस भी दे दिया है । खलीलाबाद

जनपद बस्ती को पूर्वी उत्तर प्रदेश औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना प्रदेश सरकार ने बना रखी है ।

इस क्षेत्र में रा-मैटीरियल पानी की तरह बह रहा है, उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। जैसे सीरा का उपयोग अभी तक करने का निश्चय प्रदेश सरकार ने नहीं किया जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश विशेषतः बस्ती, गोरखपुर, देवरिया जनपदों में गन्ने की मिलें बहुत अधिक हैं और लाखों टन सीरा पानी की तरह नदियों और नालों में बहा दिया जाता है। इस से प्रदेश और भारत सरकार को वित्तीय हानि भी हो रही है ।

ऐसी दशा में मैं माननीया प्रधान मंत्री एवं उद्योग मंत्री भारत सरकार से आगृह करूंगा कि सीरा पर निर्भर जो उद्योग लगाये जा सकते हैं उन्हें खलीलाबाद में लगाया जाये और उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया जाये कि इस दिशा में तुरन्त कार्यवाही करे जिससे खलीलाबाद और इस क्षेत्र की जनता को रोजगार मिल सके ।

(x) Need to issue licence for setting up of Cooperative Sugar Mill in Puwayan district Shahjahanpur (U.P.).

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : माननीय सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में शाहजहांपुर जिले की पुवायां तहसील का विशेष स्थान है । यह क्षेत्र गन्ना, धान व गेंहू का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है । परन्तु इस क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं है ।

अधिकारियों ने पुवायां क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र में एक चीनी मिल खोलने के लिये एक लायसेन्स देने के निमित्त केन्द्रीय सरकार को लिखा है । परन्तु दो वर्ष से भी अधिक बीत जाने पर वहां सहकारी चीनी मिल खोलने के लिये लायसेन्स नहीं दिया गया है । इस से स्पष्ट है कि सरकार के पिछड़े जिलों में विशेष उद्योगीकरण की घोषित नीति का परिपालन नहीं हो रहा है । इस से संतुलित विकास की प्रक्रिया में बाधा पड़ रही है । मैंने संबंधित अधिकारियों से इस सम्बन्ध में बात की तो उन्होंने बताया कि पुवायां में सहकारी चीनी मिल की स्थापना के सम्बन्ध में कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है परन्तु केन्द्रीय सरकार से अनुमति तक नहीं मिली है ।

मैं केन्द्रीय सरकार से मांग करता हूं कि पुवायां (शहजहांपुर) में तुरन्त एक सहकारी चीनी मिल खोलने के लिये लायसेन्स देने की कृपा करें ।

(xi) Need for strictly implementing use of Hindi in Government offices.

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरि) : सभापति महोदय, एक ओर सरकार आश्वासन देने में कुशल है, दूसरी ओर उसकी सरकारी मशीनरी उन आश्वासनों का मजाक बनाने में संलग्न है । देश की भाषा हिन्दी को शनैः-शनैः बिना उसे किसी पर थोपें, राष्ट्र भाषा के स्थान पर आसीन करने के आश्वासन के बावजूद सरकारी संस्थानों में उस दिशा में हो रहे कार्यों का एक उदाहरण आज में सदन में रखना चाहता हूं ।

इंडियन इंस्टीच्यूट आफ वेंक्ट, बम्बई द्वारा सी० ए० आई० आइ० बी० की परीक्षाएं ली जाती हैं किन्तु इन परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को हिन्दी उपयोग करने की अनुमति नहीं है । उक्त संस्थान के सहायक, सचिव (परीक्षा) ने स्पष्ट शब्दों द्वारा एक पत्र में इस अनुमति के देने में अस्वीकृत प्रकट की है । मैं आपके माध्यम द्वारा सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस मामले में तो सरकार जांच करे ही साथ ही ऐसी स्थायी व्यवस्था बनाये ताकि उस दिशा में निरंतर प्रगति का आभास हो सके ।

(xii) Need for releasing more quota of foodgrains for Tripura.